


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

शुद्धि पत्र

का0आ0सं0-1/अ0प्र0-1-25/2022 84 /पटना, दिनांक 31.7.26

विभागीय कार्यालय आदेश सं0-71-सह-पठित ज्ञापांक-1133 दिनांक-29.01.2026 द्वारा प्रशाखा पदाधिकारियों की अन्यथा अनुपस्थिति में उन्हें आवंटित कार्यों के सम्पादन हेतु प्रतिस्थानी प्रशाखा पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया था, जिसके क्रम सं0-05 पर श्री रजनीकांत रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07 (अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा-08) के प्रतिस्थानी श्री अवनीश कुमार त्रिपाठी के स्थान पर श्री प्रवीण कुमार, क्रम सं0-08 श्री पवन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-12 (अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा-14) के प्रतिस्थानी श्री रजनीकांत रंजन के स्थान पर श्री अवनीश कुमार त्रिपाठी एवं क्रम सं0-09 श्री गौतम भास्कर (अवर सचिव) प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-13 (अतिरिक्त प्रशाखा-03) के प्रतिस्थानी श्री प्रवीण कुमार के स्थान पर श्री रजनीकांत रंजन, प्रशाखा पदाधिकारी पढ़ा जाय।

2. उक्त आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।



30/01/26
(संजय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक:- 31.7.26

ज्ञापांक-01/ अ0प्र0-1-25/2022 1299

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आशुलिपिक/अभियंता प्रमुख के आशुलिपिक/संयुक्त सचिव के आशुलिपिक/सभी मुख्य अभियंता/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


30/01/26

सरकार के अवर सचिव